## राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपील डिक्री / टी.ए. / 4488 / 2005 / हनुमानगढ**

छोटी उर्फ गोरी पुत्री आसा पत्नी जगराम जाति जाट निवासी ढाका
हाल आबाद भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

....अपीलांट

बनाम

1. निहालसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट
2. सुमेर पुत्र रामकरण जाति जाट
   निवासीगण भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

...रेस्पोडेन्ट्स

**खण्ड पीठ**
**श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष**
**श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य**

उपस्थित–
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
श्री मनीष पाण्डया, (अधि0रेस्पो0जरिये ब्रीफ होल्डर अधि0)

दिनांक : 12.2.2020

**निर्णय**

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 77 / 2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–8–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया / अपीलांट ने एक राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रामकरण के विरूद्ध धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादीया को रोही मौजा ढाका के खसरा नंबर 146 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने एवं प्रतिवादी को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया। इस वाद का प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की एवं पक्षकारान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6–8–2004 द्वारा वादीया का वाद खारिज कर दिया तथा उक्त निर्णय

व डिक्री दिनांक 6–8–2004 के विरूद्ध वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–8–2005 द्वारा अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादीया/अपीलांट ने अपने वाद के चरण संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित किया था कि आज से करीब 45 वर्ष पूर्व वादीया के पिता का देहान्त हो गया। बाद गुजरने आसा वादग्रस्त भूमि वादीया को आसा की जायज कानूनी वारिस होने के कारण विरासतन मिली। जिस समय वादीया के पिता का देहान्त हुआ उस समय वादीया 13 वर्ष की नाबालिग लडकी थी एवं उसकी माता भोली भाली गांव की अनपढ थी तथा उनकी ओर से सरकारी कार्यालयों में उक्त भूमि बाबत प्रतिवादी रामकरण ही कार्यवाही करता था। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादीया के पिता आसा का देहान्त आज से 45 वर्ष पूर्व नहीं हुआ बल्कि आज से 65 वर्ष पूर्व हो गया था। आसा के देहान्त के समय साबिक खसरा नंबर 90 की 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि न तो उसके कब्जा काश्त में थी, न ही उसकी खातेदारी थी। न तो आसा के पास कोई वाद भूमि थी न ही उसे कोई भूमि विरासत में मिली। आसा का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बहुत पूर्व हो चुका था। आसा के देहान्त के समय बाप की जायदाद में पुत्रियों का कोई हक नहीं था इसलिये वादीया को आसा की विरासत मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आसा की पत्नी आसा से पहले ही फौत हो चुकी थी। उनका कथन है कि वाद की चरण संख्या 3 व इस के जवाब को देखा जाये तो प्रतिवादी एक तरफ यह कथन कह रहा है कि आसा के पास वादग्रस्त भूमि नहीं थी तथा आसा का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बहुत पूर्व में हो चुका था, आसा का देहान्त के समय बाप की जायदाद में पुत्रियों का कोई हक नहीं था। प्रतिवादी के जवाब दावा के कथनों में विरोधाभास है। जवाब दावा में अंकित कथनों को दखा जाये तो प्रतिवादी ने एक प्रकार से विवादग्रस्त भमि को आसा की होना स्वीकार किया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बहुत पहले आसा का देहान्त होना मान रहा है व जायदाद में पुत्रियों का कोई हक नहीं होना स्वीकार कर रहा है। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना वाद व अपील को अस्वीकार किया है। उनका आगे कथन है कि यदि थोडी देर के लिए प्रतिवादी के कथन को स्वीकार किया जाये तो प्रतिवादी के

कथन से यह साबित होता है कि आसा का स्वर्गवास जिस तरह प्रतिवादी बता रहा है उस प्रकार वादीया के जन्म से पूर्व होना साबित होता है। वादीया ने अपने वाद में कथन किया था कि आसा के स्वर्गवास के समय वादीया 13 वर्ष की नाबालिग लडकी थी एवं उसकी माता भोली भाली गांव की अनपढ औरत थी तथा उनकी ओर से सरकारी कार्यालयों में उक्त भूमि बाबत प्रतिवादी रामकरण ही कार्यवाही करता था। वादीया ने अपने नाबालिग होने के साथ अपनी माता को जीवित होना कथन किया है। वादीया की माता के जीवित होते व वादीया का उसके साथ होते रामकरण के नाम बीकानेर टिनेन्सी एक्ट के तहत भूमि दर्ज करने का अधिकार भू प्रबन्ध अधिकारी को नहीं था। आसा का स्वर्गवास होने के बाद विवादग्रस्त भूमि उसकी बेवा पर स्वमेव धारित हो गई तथा उसका स्वर्गवास होने पर वादीया पर ही धारित हुई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अपने निर्णयों में इस बिन्दु पर एक भी लाइन नहीं लिखी तथा न ही वाद निर्णित हेतु इस बाबत विवाद्यक बिन्दु कायम किया गया कि आसा की बेवा आसा के फोत होने के पूर्व फौत हुई या आसा का स्वर्गवास होने के बाद। इस बिन्दु को बिना निर्णित किये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को अन्य बिन्दुओं का सहारा लेकर वाद के पिथ एवं सब्सटेंस के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अपने निर्णय में कन्सीडर नहीं किया, जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मिसल बंदोबस्त सन् 1933 से 1934 (प्रदर्श–2) से आराजी खसरा नंबर 9 की 33 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 90 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा आसाराम वल्द सेवदा जाति जाट वादीया के पिता के नाम से दर्ज होना स्पष्ट करता है। दौराने पैमाइश खसरा नंबर 90 की 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 146 की 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि में तब्दील हुई है लेकिन उपलब्ध साक्ष्य का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सही विवेचन व मूल्यांकन नहीं किया। साथ ही वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को भी नजरअंदाज कर तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय व डिक्री पारित किये हैं, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें तथा वादीया का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रामकरण के नाम दर्ज होना भलीभांति सिद्ध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं विधिक स्थिति का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किये

हैं, जो पूर्णतया विधि सम्मत हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समतवर्ती हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. वादिया अपना वाद इस आधार पर लायी है कि वादग्रस्त आराजी वादिया के पिता आसा पुत्र सेवा की खुदकाश्त की कृषि भूमि ग्राम ढाका में स्थित है। विचारण न्यायालय ने वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर तनकियात कायम की। तनकी संख्या 1 ता 6 को सिद्ध करने का भार वादिया पर था व तनकी संख्या 7 व 8 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी संख्या 1 आया वादिया के पिता आसा की खुदकाश्त की कृषि भूमि ग्राम ढाका के खसरा नं.9 की 33 बीघा 2 बिस्वा टीबा तथा 13 बीघा बंजड कुल 46 बीघा 2 बिस्वा व ख.नं.90 की 39 बीघा 7 बिस्वा ताल कुल 84 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी जिसमें से उसने ख.नं. 9 की कुल भूमि अपने जीवनकाल में छोड दी थी और ख.नं. 90 की 39 बीघा 7 बिस्वा भूमि को वादिया का पिता काश्त, उपयोग–उपभोग करता रहा है ? इस तनकी पर विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए उसे वादिया के विरूद्ध व प्रतिवादी के हक में तय की है। उसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। चूंकि तनकी संख्या 1 को साबित करने बाबत वादिया द्वारा कोई माल रसीद पेश नहीं की गई, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे सिद्ध होता हो कि वादिया के पिता का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त रहा हो।

8. इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादिया पर था, उसे भी वादिया ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नहीं कराया कि खसरा नंबर 146 की 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो मौजूदा वाद भूमि है जो प्रदर्श संख्या 3 में खसरा नंबर 90 की 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही दर्ज है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से भी खसरा नंबर 90 की 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 22 बीघा 18 बिस्वा मौजूदा खसरा नंबर 146 की भूमि बनी हो, ऐसा साबित नहीं है। उक्त तनकी का निर्णय भी विचारण न्यायालय द्वारा भलीभांति विवेचन करते हुए इसे वादिया के विरूद्ध तय किया है।

9. तनकी संख्या 3 में स्वयं वादिया के सशपथ कथनों एवं उसके दावा से यह तथ्य साबित है कि आसा की मृत्यु सन 1951 में हो गई थी तथा आसा की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रभाव में आने से पूर्व हो चुकी थी एवं आसा की मृत्यु के समय बीकानेर टीनेन्सी एक्ट 1945 प्रभाव में था, जिसकी धारा 22 व 94

के उपबन्धों के मुताबिक वादिया को कोई उत्तराधिकार मौरूसी भूमि के बाबत नहीं था। प्रतिवादी रामकरण बीकानेर टीनेन्सी एक्ट के तत्समय प्रचलित कानून के मुताबिक जो कि मृतक आसा के भाई का लडका है व मृतक की सातवीं पीढी में आता है तथा तत्समय कानून के अन्तर्गत मृतक की विधवा जीवित हो तो भी वो कानून के अनुसार अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। इस संबंध बीकानेर टीनेन्सी एक्ट की धारा 22 व 94 निम्न प्रकार है–

"22. (1) When a tenant, having a right of occupancy in any land dies, the right shal devolve-

(a) on his male lineal descendants, if any, in the male line of descent ;

(b) failing such descendants, on his widow, if any, until she dies or remarries or abandons the land or is land or is under the provisions of this Act rejected therefrom;

(c) failing such descendants and widow on his widowed mother if any, until she dies or remarries or abandons the land or is under the provision of this Act rejected therefrom, and

(d) failing such descendants and widow or widowed mother or if the deceased tenant left a widow or widowed mother, when her interest terminated under clause (b) or (c) of this sub-section on ;-

(i) his male collateral relatives in the male line of descent upto the seventh generation of relationship from the deceased,

(ii) failing such descendants on his male collateral relatives in the male line of descent from the common ancestor of the deceased tenant and those relatives,

Provided that the common ancestor occupied the land,

(2) When the widow or widowed mother of a deceased tenant succeeds to a right of occupancy she shall not sub-lease for a term of exceeding one year.

(3) If the deceased tenant has left no such persons as are mentioned in sub-sction (1) on whom his right of occupancy may devoleve under that stub-section, the right shall be extinquished."

"94. (1) When a tenant having a right of occupancy in any land dies, the right shall devolve-

(a) on his male lineal descendants, in the male line of descent, and,

(b) failing such descendants, on his wodow, if any, until she dies or remarries or abandons the land or is under the provisions of this Act ejected therefrom, and,

(c) failing such descendants and widow, on his widowed mother if any, until she dies or re-marries of abandons the land or is under the provisions of this Act ejected therefrom, and,

(d) failing such descendants and widow, or widowed mother, or, if the deceased tenant left a widow or widowed mother, then when her interest terminates under clause (b) or (c) of this sub-section, on his male collateral relative in the male line of descent from the common ancester of the desceased tenant and those relatives.

Provided with respect to clause (d) of this sub-section, that the common ancester occupied the land."

10. ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 का निर्णय वादिया के विरूद्ध किया गया है जो उचित है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने अन्य तनकियात पर भी पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उन्हें भी वादिया के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करते हुए वादिया के वाद को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमति दर्शाते हुए तनकीवार समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द कुमार पुरोहित)**
**सदस्य**

**( मुकेश शर्मा )**
**अध्यक्ष**